



बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पारिवारिक संरचना

पूनम कुमारी

शोध अध्येत्री, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत

Received- 03.08.2020, Revised- 07.08.2020, Accepted - 11.08.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail-com

सारांश : परिवार मानव समाज की एक मौलिक एवं आधारभूत ईकाई रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन सबसे पहले वह पारिवारिक प्राणी है, क्योंकि वह परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार के द्वारा धीरे धीरे सामाजिकता को विकसित करता है। व्यक्ति के जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं उसे सामाजिक प्राणी बनाने का महत्वपूर्ण काम परिवार का है। इसलिए परिवार किसी के उपर जबरदस्ती लादने वाली वस्तु नहीं है। अपितु इसका जन्म मानव की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनिवार्य साधन के रूप में समाज और व्यक्ति के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

कुंजीशब्द— परिवार, मानव समाज, मौलिक, आधारभूत, सामाजिक प्राणी, पारिवारिक प्राणी, जबरदस्ती, समाजीकरण।

समाज की आधारभूत ईकाई परिवार है और यह परिवार भी परिवर्तन से परे नहीं है। परिवार के स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है बदलते हुए सामाजिक परिवेश में यह परिवर्तन क्रांतिकारी है क्योंकि यह औद्योगिक युग है। इसके पहले परिवार कृषि युग में था। कृषि युग की संस्कृति, सम्यता, आकार, विचार, आदर्श आदि आज जैसे नहीं थे पर बदलते परिवेश में औद्योगिकीकरण के कारण इन सबों में काफी परिवर्तन नहो गए हैं और इन परिवर्तनों का महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार के स्वभाव एवं संरचना पर पड़ा है। आज परिवार की नियंत्रण शक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है जितनी की पहले थी। अब पारिवारिक संरचना में धीरे धीरे रोज नित परिवर्तन देखे जा रहे हैं।

समय के साथ साथ परिवार के कार्यों में भी अनेक परिवर्तनों ने जन्म लिया है। पहले परिवार स्वयंपूर्ण होता था और अपनी सभी प्राथमिक एवं द्वैतीयक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करलेता था। अनाज और सब्जियों घर में ही उगाई जाती थी। कपड़े बुनना से लेकर कपड़े सिलने तक का भी काम परिवार में ही होता था। भोजन हर दशा में घर पर ही बनता था तथा दूध दही की भी व्यवस्था घर पर ही होती थी। आज यह सभी कार्य, विशेषकर आर्थिक कार्य बाहर की विशेष समितियों करने लगी है। होटलों में खाना लेना अब पसन्द किया जाने लगा तथा कपड़े की धुलाई भी मशीनों द्वारा किया जाने लगा। बच्चों के शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में व्यापक बदलाव देखा जा रहा है।

परम्परागत परिवारों में ऐसी धारणा बनी हुई थी कि परिवार में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वे सभी ईश्वर की देन है और इस पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। आज बदलते हुए परिवेश में यह धारणा की तेजी से बदल

रही है। वैवाहिक, शिक्षा, संतति निरोध की विधियों का प्रयोग, बिलम्ब विवाह आदि जैसे अनेकों कारण हैं जिनमें जन्मदर काफी कम हुई है जो परिवार के आकार में बदलाव आकारण बना है। अब आदर्श परिवार का आकार पति पत्नी और दो बच्चे हैं। बदलते परिवेश में परिवार के सदस्यों के बीच आज भी सहयोग की भावना बरकरार है लेकिन इस परिवेश में सहयोग का रूप बदल गया है। आज का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ कर सहायता करने को सहर्ष तैयार नहीं होता है। मनुष्य अपने पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त किसी और का खर्चा वहन करने को तैयार नहीं है।

इस परिवेश में समस्त द्वैतीयक कार्य राज्य के हाथों में पहुँचते जा रहे हैं। आज राज्य परिवार के प्रति सहयोगी और नियंत्रण संबंधी दो प्रकार का कार्य करता है। सहयोगी कार्य के अन्तर्गत राज्य अनेक कार्य जैसे— मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा तथा सेवा की व्यवस्था, बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था, शिक्षा, बेकारी के समय सामाजिक सुरक्षा आदि कार्य करता है। नियंत्रण संबंधी कार्यों में विवाह की आयु और जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित एवं नियमित करना, विवाह विच्छेद की समस्या को तय करना, सम्पत्ति संबंधी अधिकारों को निश्चित करना आदि अनेकों कार्य सम्मिलित है। आज विलंब विवाह, अन्तर्जातीय विवाह और प्रेमविवाह की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बालविवाह की दरों में काफी कमी आई है। आज का युवक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करना पसन्द करता है। अन्तर्जातीय विवाह होने के कारण जातिप्रथा के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पहले विधवाओं और अविवाहित लड़कियों के प्रति समाज का मनोभाव अच्छा



नहीं था पर आज बदलते परिवेश में उनके प्रति सहानुभूति और सहनशीलता की भावना जागृत हो गई है। पहले पति ही पत्नी का सब कुछ होता है। पति पत्नी के द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है चाहे पति कितना भी अत्याचारी, शराबी, भ्रष्टाचारी क्यों न हो। पत्नी को उनके प्रति वफादर रहकर उनकी सेवा करनी पड़ती थी, आज इस प्रकृति में बदलते हुए परिवेश के कारण तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। आज का पति नाम मात्र का प्रधान रह गया है। आज पति पत्नी का प्रारंभिक संबंध प्रभुत्व की सहयोगिता की बढ़ता ही जा रहा है और पत्नी के रूप में स्त्रियों का अधिकार पुरुषों के समान ही हो रहा है।

परिवार के पहले माता पिता और पुत्री रूप में महिलाओं की दशा दयनीय थी। आज के बदलते परिवेश में उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव हो गया है। इसी प्रकार आज माता पिता की यह गलत धारणा भी बदलने लगी है कि बच्चों को मारपीट कर या डॉट-फटकार कर सही रास्ते पर रखा जा सकता है। इससे परिवार में उनकी स्थिति में बदलाव हुआ है और उनके मनोभाव एवं विचारों की मान्यता दिया जाने लगा है। आज युवकों की स्थिति और अधिकारों में भी काफी बदलाव आया है। पारंपरिक परिवार में पहले अपने नाते रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता

था, लेकिन आज समाज के बदलते परिवेश में यह सिद्धान्त हो गया है कि हम जितना ही रिश्तेदारों से दूर रहें उतना ही अच्छा है। इस बदलाव के लिए व्यक्तिवादी आदर्श प्रमुख रूप से उत्तरदाई है।

परिवार का आकार सिकुड़कर छोटा हो गया है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अधिकांशतः परिवारों में माता पिता में से केवल एक व्यक्ति ही घर मौजूद रहता है। विधवा एवं तलाकशुदा स्थिति होने के अतिरिक्त भी बहुत परिस्थितियों में पति को अपने व्यवसाय के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण केवल महिलाओं को ही सारे परिवारिक दायित्वों को वहन करना पड़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मेकाइवर एवं पेज-समाजशास्त्र।
2. जिन्सबर्ग-समाजशास्त्र।
3. कुमारी अनामिका रानी-भारतीय सामाजिक संस्थाएँ एवं सामाजिक (पीएच.डी. शोधग्रंथ) एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।
4. आनन्दकुमार- समाजशास्त्र।
5. एस. एस. गोरे-समाजशास्त्र।
6. पारसन्स-समाजशास्त्र।
7. ऑगवर्न-समाजशास्त्र।
